सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 05, सोमवार, *शाके* 1947- मई 26, 2025 *Jyaistha 05, Monday, Saka 1947- May 26, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 28, 2025

संख्या:02/भू.अ./ज.स./2022/729-733:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर परियोजना की बांयी मुख्य नहर की टेल वितरिका की आर.डी. 0 से 10.00 किमी. के निर्माण में आयी ग्राम खरेड़ा की भूमि को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-तृतीय, बीसलपुर परियोजना देवली को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली (टोंक) होगे।

विवरण

बायीं मुख्य नहर की टेल वितरिका की आर. डी. 0.00 से 10.00 किमी के निर्माण में आयी जमीन ग्राम खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक के पूर्व खसरा संख्या 1679 रकबा 1.77 है0 से हाल खसरा नं. 1457/3586 रकबा 0.47 है0 बना है में से रकबा 0.12 हैक्टयर भूमि में अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–4 (1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव जिला–टोंक।

क्र.स.	परियोजना का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत़	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
	बीसलपुर पेयजल एवं	खरेडा	खरेडा	टोडारायसिंह	टोंक	अतिरिक्त कलक्टर

	सिंचाई परियोजना जिला–टोंक खरेड़ा खरेड़ा					(पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली

फार्म– 2

देखे– नियम–5

पार्ट– बी

सामाजिक समघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित होगाः-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड– तृतीय बीसलपुर परियोजना देवली।
(ख)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	बीसलपुर परियोजना की बायीं मुख्य नहर की टेल वितरिका की आर. डी. 0.00 से 10.00 किमी के निर्माण के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि Private land 0.12 Hect of. Government land 0.00 Hect.
(ग)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1 परामर्श (2 सर्वेक्षण (3 सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईयां भी दे।	1 परामर्श 2 सर्वेक्षण 3 सार्वजनिक सुनवाई
(घ)	यदि ग्राम सभा और /या भू– स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारें में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा– 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(ड़)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगें।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(च)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	हा

(छ)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने सम्बन्धी जानकारी	अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड–तृतीय बीसलपुर परियोजना देवली।

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।